उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-428/2025/431के-2/22-3-25-17(1012)/19
लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी प्यारे (बन्दी संख्या-48414) पुत्र श्री माधौ, निवासी बेहटी, थाना-सदरपुर, जनपद-सीतापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-61/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 02-03-1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 22-01-2023 तक भोगी गई 06 वर्ष, 09 माह, 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 17 दिन की सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण होने व दिनांक 22-01-2023 तक आयु 81 वर्ष, 05 माह तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
5- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।